न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 15/2023
तारीख दायर : 04.04.2023

अनवान

1 प्रभुलाल पुत्र नन्दलाल जाति रेगर निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षी...

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश पालीवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.08.2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला तहसील माण्डलगढ की शरहद में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आ0 न0 3404/595 रकबा 0.1700 है0 आराजी संख्या 596 रकबा 0.1942 है0 कुल किता 02 रकबा 0.3642 है0 कृषि भूमि खातेदार प्रभुलाल पुत्र नन्दलाल जाति रेगर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ही उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जे काश्त है। उक्त कृषि भूमि पर आने जाने कृषि यन्त्र ट्रेक्टर बैलगाड़ी आदि लाने ले जाने का रास्ता खसरा संख्या 662 रकबा 0.3237 गे0मु0 भटवेड़ से निकलता है। नजरी नक्शा में जिसमें रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि कृषि भूमि मे जाने आने ट्रेक्टर बैलगाडी कृषि यंत्र लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 662 रकबा 0.3237 गे0मु0 भटवेड में से निकलता है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास कृषि भूमि में जाने आने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। यह केवल सुविधा के लिये नही अपितु इस रास्ते की प्रार्थी को सख्त आवश्यकता है। इस रास्ते से अन्य व्यक्ति अतिक्रमण कर कब्जा करने की निरन्तर धमकी देते रहते है। इसलिये प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने आने वाले लगभग 30 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त रास्ते में जाने आने वाली भूमि का प्रार्थी हर्जा खर्चा जमा करवाने के लिये तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला के आराजी संख्या 3404/595 रकबा 0.1700 है0 आराजी संख्या 596 रकबा 0.1942 है0 कुल किता 02 रकबा 0.3642 है0 भूमि पर आने जाने वाले कृषि यंत्र ट्रैक्टर बैलगाडी आदि लाने ले जाने बाबत् खसरा संख्या 662 रकबा 0.3237 है0 गे0मु0 भटवेड़ में से 30 फिट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे में वर्णित लाल स्याही के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड [...] में तरमीम करवाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2023.10.26 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [...] विपक्षी को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया। विपक्षी राजस्थान सरकार की ओर से पेशकार ने अपनी उपस्थिति दी एवं मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया।

दिनांक 04.08.2023 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक राजस्व/2023/37 दिनांक 02.08.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया कि प्रार्थी प्रभुलाल पुत्र नन्दलाल जाति

Mahesh
अधिकारी

निवासी जहाजपुर की ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला के आराजी संख्या 3404/595 ...र्ड दर्ज होकर उक्त भूमि पर पहुंचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पंहुचने हेतु ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला के आराजी संख्या 662 रकबा 0.3237 है में से 30 फिट चौडाई में रास्ता चाहा गया है। उक्त आराजी संख्या 662 रकबा 0 3237 है0 किस्म गै0मु0 भटवेड मे से 05 मीटर लम्बाई मे अर्थात कुल रकबा 0.0040 है0 भूमि का रास्ते हेतु उपयोग में आती है। उक्त भूमि को रास्ते हेतु प्रस्तावित की जा रही है। प्रस्तावित भूमि सडक व प्रार्थी की खातेदारी भूमि के बीच स्थित है। प्रस्तावित भूमि को ऑनलाईन नक्शा प्रति मे गहरे नीले रंग से इंगित किया है। प्रस्तावित रास्ता लघुतम है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पंहुचने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला की वर्तमान डी. एल.सी. दर 3233890 रूपये प्रति हैक्टेयर है प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि 0.0040 है0 भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 25920 रूपये बनती है।

दिनांक 08.08.2022 को हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं दिनांक 04.08.2023 को तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुॅचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुॅचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की रास्ते हेतु 0.0040 हैक्टेयर बिलानाम भूमि का उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 3233890 रुपया प्रति हैक्टेयर से 25920 रुपया भूमि का बनता है। जो सम्पूर्ण बिलानाम सरकार की है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतित होता है।

आदेश

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में प्रार्थी प्रभुलाल पुत्र नन्दलाल जाति रेगर निवासी जहाजपुर की ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला के आराजी संख्या 3404/595 रकबा 0.1700 है0 आराजी संख्या 596 रकबा 0.1942 है0 कुल किता 02 रकबा 0.3642 हैक्टेयर पर पहुॅचने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला की बिलानाम आ0 न0 662 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म गे.मू. भटवेड़ मे से 05 मीटर अर्थात् 0.0040 हैक्टेयर भूमि, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 3233890 रुपया प्रति हैक्टेयर से दुगना 25920 रुपया प्रार्थी द्वारा राजकोष की मद 0029–00–107–01–00 में प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावे।

आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2023.10.26 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ